



विवरणिका

एवं

प्रवेश आवेदन-पत्र

सत्र : 2021-22

₹100/-



अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना) म.प्र.

(जीवजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से सम्बद्ध स्वशासी महाविद्यालय)

महाविद्यालय का पता : मुरैना रोड, तहसील कार्यालय के सामने, अम्बाह (म.प्र.)

दूरभाष : 07538-275635

Website : www.ambahpgcollege.org || E-mail : principal.pgc.amhah@gmail.com

संचालनकारी समिति- शिक्षा समिति परगना, अम्बाह (रजि. नं. 28/1952)

महाविद्यालय शासी निकाय के पूर्व अध्यक्ष

स्व. पं. रामनिवास शर्मा

स्व. श्री रामरज शर्मा "पंकिल"

स्व. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा "दाऊ"

महाविद्यालय शासी निकाय

1.	डॉ. ओ.पी. शुक्ला	-	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक जैन (एडवोकेट)	-	सदस्य
3.	श्री गुणाकर शर्मा (एडवोकेट)	-	सदस्य
4.	श्री प्रवीण कुमार शर्मा (एडवोकेट)	-	सदस्य
5.	डॉ. प्रकाश शर्मा	-	सदस्य
6.	श्री अशोक शर्मा (अधोगपति), ग्वालियर	-	सदस्य
7.	अतिरिक्त संचालक उच्चशिक्षा, ग्वालियर	-	शासन प्रतिनिधि
8.	प्रो. रेखा भदौरिया	-	यू.जी.सी. प्रतिनिधि
9.	डॉ. समीर भागवत	-	जीवाजी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
10.	डॉ. वी.के. जैन	-	शिक्षक प्रतिनिधि
11.	डॉ. दिनेश रावत	-	शिक्षक प्रतिनिधि
12.	डॉ. शिवराज सिंह तोमर	-	पदेन सचिव (प्राचार्य)

मान्यता सम्बन्धी जानकारी

ऑटोनोमस मान्यता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देहली No. F. 22-1/2017 (AC) Date 30 May 2018
स्थाई मान्यता	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक Admn.Affi.19 Part-I/7044
B.A./B.Sc.	दिनांक 20 जुलाई 1966/21 जुलाई 1966
M.A.-Geography, Hindi Economics & M.Sc. -Chemistry P.G.D.C.A.	क्रमांक 32 (2) ए-4/77/554 दिनांक 31-1-1969
M.Sc. (Zoology) & B.Com.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/सम्बद्धता/2002/196 जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/सम्बद्धता/2004/786 दिनांक 06.05.04 म.प्र. शासन का अनुमति पत्र क्रमांक 4045/आउशि/शा-13/सम्बद्धता/03 दिनांक 14.08.03
B.Sc. Electronics	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/सम्बद्धता/2004/427 दिनांक 15.09.06 म.प्र. शासन अनुमति पत्र क्रमांक 1531/आउशि/शास-13/सम्बद्धता/06 दिनांक 28.02.02
B.Sc. Micro Biology,	म.प्र. शासन पत्र क्रमांक 225/574/आउशि/सम्बद्धता/10 दिनांक 30.06.10

नोट : ऑटोनोमस व्यवस्था की गाइड लाइन 2007-12 के बिन्दु क्रमांक 10 के अन्तर्गत महाविद्यालय स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर का नवीन विषय, पाठ्य, डिप्लोमा / सर्टिफिकेट प्रारम्भ करने के लिए अधिकृत है।



भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह



गाँधी जयंती पर गाँधी तुम्हें नमन कार्यक्रम



भौतिक दूरी के साथ कक्षाओं में अध्यापन



NCC की जन जागरूकता रैली



राष्ट्रीय सेवा योजना का श्रमदान कार्यक्रम



स्वशासी विद्या परिषद की बैठक



जीवाजी विश्वविद्यालय में माननीया कुलपति जी से पुरस्कार प्राप्त करती कालेज की छात्रा



भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह में स्मारिका का विमोचन

अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना) म.प्र.

(जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध - स्वशासी महाविद्यालय)



महाविद्यालय का ध्येय/लक्ष्य कथन (Mission Statement)

“सा विद्या या विमुक्तये”

लक्ष्य

लोक कल्याण

1. अम्बाह नगर व उसके सेवा क्षेत्र के निवासियों को स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करना ।
2. शिक्षा के साथ ही संस्कारवान, अनुशासित और राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत युवा पीढ़ी को तैयार करना ।
3. दस्यु समस्या से ग्रसित रही चम्बल घाटी में एक आदर्श शिक्षा केन्द्र स्थापित कर, जन समुदाय के मानसिक स्तर को सामाजिक सरोकार के साथ सकारात्मक दिशा प्रदान करना ।
4. आर्थिक विकास के साथ हो रहे भौतिक परिवर्तन को आत्मसात करने हेतु विद्यार्थियों को शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से सक्षम बनाना ।
5. व्यावसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर युवाओं में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना तथा पर्यावरण सुधार, समाजार्थिक प्रगति एवं राष्ट्र उत्थान हेतु जन जागृति लाना ।

महाविद्यालय : एक परिचय

चम्बल घाटी के सांस्कृतिक विकास का एक प्रतिष्ठित केन्द्र, अम्बाह महाविद्यालय 9 मार्च 1959 को स्थापित होकर विकास के अनेक सपनों को पार करता हुआ आज इस क्षेत्र की प्रगति का पर्याय बन चुका है । स्नातक स्तर पर 9 विद्यार्थियों से शिक्षण सेवा का संकल्प प्रारम्भ कर अब 1300 से अधिक विद्यार्थियों का शिक्षण सात विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध सुविधाओं तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन इसके गौरवमयी इतिहास एवं उज्ज्वल भविष्य के परिचायक हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल तथा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा इसे एक स्वशासी महाविद्यालय मान्य किया गया है । राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् की मूल्यांकन समिति ने इसे दो बार ‘बी’ ग्रेड प्रत्यायित कर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की है । एन.सी.सी., एन.एस.एस., रेडक्रॉस, विभागीय परिषद, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विभिन्न मंच, शिक्षणेत्तर क्रिया-कलापों की दिशा में क्षेत्र एवं प्रदेश की सीमा लांघ कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करा चुके हैं । महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त अनेक विद्यार्थी राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं ।

विद्यार्थियों में अनुशासन, परीक्षाओं में स्वच्छता, प्रांगण की जीवंतता, स्वस्थ पर्यावरण, शिक्षक – विद्यार्थियों के बीच सौहार्द, भेद रहित वातावरण, अध्ययन-अध्यापन की सुचारुता, महाविद्यालय के ध्येय वाक्य की तरह विद्यार्थी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दिनचर्या के अंग बन चुके हैं । महाविद्यालय में अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने तथा उनके उन्नयन हेतु एक विशेष कल्याण प्रकोष्ठ कार्यरत है । विद्यार्थियों के सतत मार्गदर्शन, रोजगार जागरूकता, उद्यमिता विकास हेतु भी महाविद्यालय प्रकोष्ठ स्थापित हैं । CCTV कैमरों से युक्त महाविद्यालय परिसर पूर्णतः सुरक्षित है तथा छात्र-छात्राओं के सह अध्ययन का एक आदर्श और प्रतिष्ठित केन्द्र है ।

प्रवेश आवेदन एवं पात्रता

वर्तमान समय में म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेश दिये जाते हैं। प्रवेश हेतु आवेदन एवं पात्रता का निर्धारण भी म. प्र. शासन उच्चशिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत (2021-22) के अनुसार ही होगा।

अतः इसी उद्देश्य से शासन की मार्ग दर्शिका को इस प्रवेश विवरणिका में आगे प्रकाशित किया गया है प्रवेशार्थी शासन के नियमों का भली भाँति अवलोकन करें।

आवश्यक सूचनाएँ

1. वर्तमान में महाविद्यालय में समस्त स्नातकोत्तर कक्षाएँ सेमेस्टर पद्धति से संचालित हैं।
2. आवेदकों एवं उनके अभिभावकों से अपेक्षा है कि, प्रवेश विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं जमा करें।
3. विद्यार्थी प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करके मूल-प्रवेश-रसीद प्राप्त करे उसे सुरक्षित रखें।
4. प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अंकसूचियों एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें। प्रवेश के समय इन्हें सत्यापित करवायें। संलग्न प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही प्रवेश अधिभार प्रदान किया जायेगा।
5. प्रवेश सम्बन्धी समस्त नियम एवं सूचनाएँ समय-समय पर महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेंगी।
6. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
7. जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देकर/प्रशासनिक अथवा कार्यालयीन त्रुटिवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल जाता है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने पर पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा। ऐसी स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा।
8. प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के, स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेम. में लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।
9. रेगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अतिरिक्त अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

नोट- प्रवेश पात्रता एवं परीक्षा प्रणाली के संबंध में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश प्रवेशार्थियों / परीक्षार्थियों पर लागू होंगे।

प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान :

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के लिए अधिकतम निर्धारित स्थान इस प्रकार हैं —

(अ) स्नातकोत्तर स्तर :-

विषय	निर्धारित स्थान
भूगोल	60
अर्थशास्त्र	60
हिन्दी	60
रसायनशास्त्र	30
जन्तु विज्ञान	30
गणित	30
पी.जी.डी.सी.ए.	120 (स्ववित्तीय)

(ब) स्नातक स्तर :-

बी.ए. (प्रथम वर्ष)	600	(विषयवार सीट संख्या उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल पर देखें)
बी.एस-सी. (प्रथम वर्ष)		
1- B.Sc. - Bot. Che., Mircobio	10	} 120
2- B.Sc. - Zool. Che., Mircobio	10	
3- B.Sc. - Bot. Che., Zoology	100	
4- B.Sc. - Che., Math, Physssics	205	} 240
5- B.Sc. - Comp. Appl., Math, Physics	35	
बी.कॉम. (प्रथम वर्ष)	180	

स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति में संकायवार विषय समूह इस प्रकार रहेगें (शासन द्वारा परिवर्तन होने पर परिवर्तन यथावत मान्य किए जाएंगे)

(अ) आधार पाठ्यक्रम— अनिवार्य विषय

(ब) निम्न विषय समूहों में से कोई तीन— विषय

कला संकाय (बी.ए.)

1. अंग्रेजी साहित्य/संस्कृत/हिन्दी साहित्य
2. इतिहास/अर्थशास्त्र
3. समाजशास्त्र
4. भूगोल/राजनीतिशास्त्र

नोट— भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास— राजनीति शास्त्र प्रथक समूह हैं, समाज शास्त्र इन समूह के किसी एक विषय के स्थान पर लिया जा सकता है ।

विज्ञान संकाय (बी.एस-सी)

1. रसायनशास्त्र / कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. गणित / जन्तु विज्ञान
3. भौतिक शास्त्र / वनस्पतिशास्त्र
4. माइक्रोबायोलॉजी

नोट- 1. माइक्रोबायोलॉजी के साथ जन्तुविज्ञान अथवा वनस्पतिशास्त्र लिया जा सकता है ।

वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)

1. एकाउंट ग्रुप
2. मैनेजमेंट ग्रुप
3. एप्लाइड इकोनोमिक्स

आरक्षण

मध्यप्रदेश राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुसार होगा ।

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त 2021 से प्रारम्भ होगी । म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया अनुसार शुल्क जमा करना होगा ।
2. प्रवेश आवेदन-पत्र की जांच हेतु प्रवेश विवरणिका में समितियों के नाम प्रकाशित हैं । प्रवेशार्थी सम्बंधित समिति से आवेदन जाँच करायें ।
3. बी.ए./ बी.एस-सी./ बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु M.P. Higher Education से पंजीकृत प्रवेशार्थी को अपने पिता/ पालक के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है ।
4. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय के लिए पृथक से आवेदन करना होगा ।
5. निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा गुणानुक्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा ।

शैक्षणिक कैलेण्डर

महाविद्यालय में शैक्षणिक कैलेण्डर मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों व निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जायेगा ।

प्रवेश समितियाँ

कक्षा	प्रवेश समिति	स्थान
1. बी.ए. प्रथम वर्ष	1. डॉ. दिनेश रावत	भूगोल विभाग
2. बी.ए. द्वितीय वर्ष	2. डॉ. शशिवल्लभ शर्मा	अर्थशास्त्र विभाग
3. बी.ए. तृतीया वर्ष	1. डॉ. कमल भारद्वाज	भूगोल विभाग
4. बी.एस-सी, प्रथम वर्ष (जीवविज्ञान समूह)	2. डॉ. मनोज शर्मा	भौतिकी विभाग
5. बी.एस-सी, प्रथम वर्ष (गणित समूह)	1. डॉ. दिनेश रावत	रसायन विभाग
6. बी.एस-सी, द्वितीय वर्ष	2. डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	जन्तु विज्ञान विभाग
7. बी.एस-सी, तृतीय वर्ष	1. डॉ. दिवाकर श्रोत्रिय	कम्प्यूटर विभाग
8. बी.कॉम, प्रथम वर्ष	2. श्री एस.ए. गौरी	कॉमर्स विभाग
9. बी.कॉम, द्वितीय वर्ष	1. डॉ. व्ही.के.जैन	कक्ष क्र. 21
10. पी.जी.डी.सी.ए. / कम्प्यूटर /	2. श्री दिवाकर शर्मा	कम्प्यूटर विभाग
11. एम.ए. भूगोल प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. डॉ. बी.एम. बंसल	भूगोल विभाग
12. एम.ए. अर्थशास्त्र प्रथम तथा तृतीय सेमेस्ट	2. डॉ. श्रीमती मंजू तोमर	अर्थशास्त्र विभाग
13. एम.ए. हिन्दी प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय	हिन्दी विभाग
14. एम.एस-सी. रसायन प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	2. डॉ. रक्षा कम्ठान	रसायन विभाग
15. एम.एस-सी. जन्तुविज्ञान प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	1. श्री दिवाकर शर्मा	जन्तुविज्ञान विभाग
16. एम.एस-सी. गणित प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर	2. श्री एस.ए. गौरी	गणित विभाग
	1. डॉ. दिनेश रावत	
	2. डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	
	1. डॉ. कमल भारद्वाज	
	2. डॉ. मनोज शर्मा	
	1. डॉ. शशि वल्लभ शर्मा	
	2. डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	
	1. डॉ. व्ही.के. जैन	
	2. डॉ. मुकेश श्रीवास	
	1. डॉ. आनन्द देशपाण्डे	
	2. श्री डी.के. शर्मा	
	1. श्री व्ही. मेढेकर	
	2. श्री ब्रजेश राठौर	

प्रवेश निरस्तीकरण

निम्न दशाओं में विद्यार्थी को महाविद्यालय में दिया गया प्रवेश निरस्त किया जा सकता है —

1. पूरक परीक्षा अथवा ए.टी.के.टी. प्राप्त ऐसे विद्यार्थी जिनको प्रावधिक प्रवेश (Provisional Admission) अगली कक्षा में दिया गया था । परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने/परीक्षा में सम्मिलित न होने की दशा में /ए.टी.के.टी. नियमों के अधीन पात्रता न होने की दशा में ।
2. इस महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में भी संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने पर ।
3. शिक्षणेत्तर संगठनों एन.सी.सी., एन.एस.एस., रेडक्रॉस तथा स्नातकोत्तर परिषदों में नियमानुसार पंजीयन न कराने, इनके कार्यक्रमों में भाग न लेने व नियमों का पालन न करने पर ।
4. विभिन्न विषयों की कक्षाओं में अथवा संबंधित संगठन के कार्यक्रमों में अथवा दोनों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर ।
5. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय आदि के शुल्क का यथा समय भुगतान न करने पर ।
6. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित परीक्षाओं अथवा अन्य कार्यक्रमों का बहिष्कार करने पर ।
7. महाविद्यालय आचार संहिता का पालन न करने पर प्रवेश निरस्तीकरण एवं निष्कासन (एक अथवा दोनों स्थिति अनुसार) किये जा सकेंगे ।
8. बिना अनुमति के अकारण लम्बी अवधि तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
9. कोविड-19 से सावधानी के नियमों का पालन न करने पर भी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय की आचार संहिता

1. ड्रेस कोड — महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए परिधान (ड्रेस) निर्धारित है जिसका पालन नियमित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है । छात्रों के लिए — सफेद शर्ट, काला पेन्ट व काले जूते । छात्राओं के लिए — नेवी ब्लू कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा एवं काली जूती अथवा सफेद शर्ट व काला पेन्ट व काले जूते । कोविड-19 के समय में मास्क लगाना अनिवार्य है ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी एवं सम्बंधित संगठनों के नियमों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं अभिवृद्धि में प्रत्येक विद्यार्थी यथाशक्ति सहयोग करेगा ।
4. महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है ।
5. प्रत्येक विद्यार्थी शिष्ट, जनोचित व्यवहार करेगा, अशिष्ट व्यवहार वर्ज्य एवं दण्डनीय है ।
6. विद्यार्थियों से सरल, निर्व्यसन, मितव्ययी एवं सात्विक जीवन अपेक्षित है । मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जनीय है ।
7. विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी का शोषण व उत्पीड़न किसी प्रकार नहीं करेगा । रेगिंग पूर्णतः वर्जित है ।
8. समस्या निराकरण के लिए आन्दोलन, हिंसा तथा आतंक का प्रयोग अवैधानिक एवं अनुचित माना जायेगा ।
9. विद्यार्थी आदर्श महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल आचरण करेगा । समस्याओं के समाधान के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं का सहारा नहीं लेगा तथा सक्रिय राजनीति से दूर रहेगा ।
10. महाविद्यालय की शांति, सुव्यवस्था, स्वच्छता, सज्जा एवं परिसर को हरित बनाने में विद्यार्थी सहयोग देगा । अनुशासनहीन, उददण्ड एवं अपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले छात्र/छात्राओं की गोपनीय सूचना अनुशासन समिति को देकर प्रशासन को सहयोग करेगा ।
11. राष्ट्रीय पर्वों/उत्सवों के आयोजन में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहकर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

संस्था के प्रति विद्यार्थियों की जवाबदेही -

1. महाविद्यालय प्रांगण को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें ।
2. महाविद्यालय में लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावर्न रहें तथा सम्बन्धित गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करें ।
3. संस्था के नियम/अधिनियम, कार्यक्रमों एवं प्रवेश-नीति आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी रखें ।
4. संस्था की पढ़ाई संबंधी व्यूह रचना व मूल्यांकन विधियों को समझें ।
5. संस्था के नियम, अधिनियम एवं निर्धारित समय-सारणी का पालन करें । कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की वैधानिक बाध्यता का पालन सुनिश्चित करें ।
6. संस्था में उपलब्ध अध्ययन सुविधाओं एवं सहायक सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें ।
7. CCE परीक्षाओं एवं मुख्य परीक्षा हेतु निरन्तर तैयारी करें तथा समय सीमा में कार्य पूर्ण कर प्रस्तुत करें ।
8. महाविद्यालयीन व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं उपादेय बनाने हेतु लिखित सुझाव सम्बन्धित प्रभारी के माध्यम से प्राचार्य को दें ।
9. संस्था के आदर्श का स्वयं को प्रतिरूप मानकर व्यवहार करें । संस्था के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रति सम्मान का भाव रखें तथा कार्य एवं व्यवहार में भी इसे अभिव्यक्त करें ।
10. अपने सभी साथियों के साथ धर्म, जाति वर्ग का भेद न करते हुए समानता का व्यवहार करें ।
11. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये परिचय-पत्र को अपने गले में डालकर ही रखें । महाविद्यालय की प्रत्येक गतिविधि एवं सुविधा का लाभ बिना परिचय-पत्र के प्राप्त नहीं होगा ।
12. रैरिंग एक दण्डनीय अपराध है, इस बात का विशेष ध्यान रखें ।

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल एवं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल

यह महाविद्यालय, म.प्र. भोज (मुक्त) वि.वि., भोपाल का मान्य अध्ययन केन्द्र है । इसके अन्तर्गत बी.ए., बी.एस-सी., एम.ए., एम.एस-सी. की परीक्षाओं का संचालन किया जाता है । महाविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र है । विस्तृत जानकारी डॉ.बी.एम. बंसल से प्राप्त की जा सकती है ।

शिक्षणेत्तर संगठनों की सदस्यता

प्रवेशार्थी किसी एक शिक्षणेत्तर संगठन एन.सी.सी./एन.एस.एस./रेडक्रॉस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता हेतु अपना आवेदन देगा । परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर संगठन की सदस्यता सुनिश्चित की जायेगी । स्नातकोत्तरी विद्यार्थी, विभागीय परिषद के अनिवार्य सदस्य होंगे । प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक शिक्षणेत्तर संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है । **NCC और NSS** में से एक संगठन के ही नियमित सदस्य बन सकेंगे ।

खेल-कूद

महाविद्यालय में खेलकूद की नियमित व्यवस्था है । महाविद्यालय में व्हालीबॉल, कबड्डी, बॉस्केट बॉल, बेडमिन्टन, एथलेटिक्स, खो-खो, टेबिल टेनिस और हेण्डबॉल के उपयुक्त खेल मैदान हैं । जिनमें खेल विशेषज्ञों द्वारा खेल प्रशिक्षण दिया जाता है । महाविद्यालय में क्रिकेट खेल की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं । महाविद्यालय से प्रतिवर्ष खिलाड़ी राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं ।

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति

1. प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न विषयों एवं सम्बन्धित संगठनों की क्रियाकलापों में उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए । म.प्र.वि.वि. अधिनियम 1973 अध्यादेश क्र. 6 के अनुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे ।
2. महाविद्यालय के विभिन्न आयोजनों (वार्षिक रनेह सम्मेलन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि) में उपस्थित रहने पर विद्यार्थी को नियमानुसार उपस्थिति का लाभ दिया जाएगा ।

3. विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति सूचना वर्ष में दो बार सितम्बर/अक्टूबर एवं मार्च/ अप्रैल में सूचना पटल पर प्रकाशित की जाती है। उपस्थिति सूचना प्राप्त करना विद्यार्थी का निजी दायित्व है।
4. महाविद्यालय अथवा विभिन्न संगठनों द्वारा विद्यार्थी को बाहर भेजे जाने पर इसकी विधिवत अनुमति तथा प्रमाण-पत्र होने पर इस अवधि की उपस्थिति का लाभ सम्बन्धित को दिया जायेगा। इसके लिए विद्यार्थी को सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से आवेदन द्वारा मांग करनी होगी।

शोध केन्द्र

महाविद्यालय में निम्न विषयों में शोध की व्यवस्था है –

(क) कला संकाय

(1) अर्थशास्त्र

(2) भूगोल

(3) हिन्दी

(ख) विज्ञान संकाय

(1) रसायन विज्ञान

(ग) शोध हेतु प्रवेश नियम

1. पी-एच.डी. की उपाधि के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित शोधार्थियों को महाविद्यालय शोध केन्द्र पर अधिकतम चार वर्ष के लिए प्रवेश दिया जावेगा। शोधार्थी को शोध केन्द्र पर नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
2. विश्वविद्यालय से स्वीकृति के बाद प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य होगा।
3. शोधार्थी की प्रतिदिन की उपस्थिति का रिकार्ड शोध निर्देशक ही रखेंगे। प्रत्येक छः माह में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. शोध प्रबंध के अग्रेषण के पूर्व शोधार्थी को अपने शोध निर्देशक से सत्यापित एवं अग्रेषित पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं सम्बन्धित विभाग का अनादेय प्रमाण-पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
5. अध्ययन-अवकाश पर शोध कर रहे शिक्षक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र और तीन माह में शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा ऐसे शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।
6. शोधार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही शोध कार्य सम्पादित कर सकेंगे।

परीक्षाएँ

1. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है। परीक्षाओं का बहिष्कार आचार संहिता का उल्लंघन है तथा बहिष्कृत प्रश्न-पत्र की परीक्षा पुनः नहीं होगी।
2. परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही म.प्र. परीक्षा एक्ट 1984 के तहत करने का प्रावधान है। जिसके अनुसार रु. 5000/- जुर्माना अथवा 3 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है अथवा दोनों सजाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। इसी प्रकार की कार्यवाही जीवाजी विश्वविद्यालय के रेगु. क्र. 10 तथा 11 के अन्तर्गत करने का प्रावधान है।

नोट :-

1. स्नातकोत्तर परिषदों का सदस्यता शुल्क सम्बन्धित विभागों में जमा किया जाता है।
2. प्रतिभूति राशि महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् 2 वर्ष के अन्दर ही वापिस की जाती है। विश्वविद्यालय नामांकन कराना विद्यार्थी का उत्तरदायित्व है इसकी जानकारी विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा सूचना पटल के माध्यम से दी जायेगी। विद्यार्थी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वेबसाइट पर अवलोकन करें।

अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना)
वार्षिक शुल्क सत्र 2021 - 22
प्रवेश के समय सत्र में केवल एक बार देय है ।

क्र.सं.	मद	रुपये
1.	विश्वविद्यालय क्रीड़ा शुल्क	120
2.	महाविद्यालय क्रीड़ा शुल्क	180
3.	प्रवेश शुल्क	100
4.	महाविद्यालय छात्र समिति	150
5.	विश्वविद्यालय छात्र समिति	2
6.	पत्रिका शुल्क	150
7.	परिचय-पत्र शुल्क	60
8.	चिकित्सा शुल्क	20
9.	रेडक्रास शुल्क	25
10.	विकास शुल्क (फर्नीचर, जल, विद्युत एवं रखरखाव आदि)	600
11.	विश्वविद्यालय स्वायत्तता/सम्बद्धता/निरन्तरता शुल्क	500
12.	विश्वविद्यालय कल्याण शुल्क	30
13.	पंजीयन शुल्क	600
	योग शुल्क	2537

अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना)
वार्षिक शुल्क सत्र 2021 - 22

प्रथम वर्ष

S.No.	Course Code	VERIFIED COURSE	Subject Combinations	शिक्षण शुल्क	विज्ञान शुल्क	विज्ञान प्रायो./भूगोल फण्ड / कॉमर्स फण्ड/हिन्दी फण्ड	अंकेक्षण शुल्क	शिक्षा संचारण	वाचनालय/पुस्तकालय	जनरेटर-डीजल व्यवस्था एवं उपकरण रख-रखाव	नेटवर्क रिसोर्स सेंटर संचाल	स्वच्छता एवं पर्यावरण विकास	वार्षिक शुल्क (वर्ष में केवल एक बार वसूल की जाती है।)	सेल्फ फाइनेंस फीस	कॉशन मनी	योग फीस प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	C028	B. A.	Geography	96	0	360	120	600	204	420	180	60	2537	0	60	4637
2	C028	B. A.	without Geography	96	0	0	120	600	204	420	180	60	2537	0	60	4277
3	C032	B. Com.	Commerce	96	240	1260	120	600	204	420	180	60	2537	0	60	5537
4	C080	B. Sc.	Botany- Chemistry - Microbiology	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	4000	60	10377
5	C085	B. Sc.	Botany- Chemistry - Zoology	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	0	60	6377
6	C116	B. Sc.	Chemistry- Mathematics - Physics	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	0	60	6377
7	C118	B. Sc.	Chemistry- Microbiology - Zoology	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	4000	60	10377
8	C129	B. Sc.	Computer - Application - Mathematics - Phy.	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	4800	60	11177
9	C005/ C008	M. A.	Economics / Hindi	144	0	0	120	600	336	420	180	60	2537	0	100	4497
10	C318	M. A.	Geography	144	0	1260	120	600	336	420	180	60	2537	0	100	5757
11	C044	M. Sc.	Chemistry	144	240	1860	120	600	336	420	180	60	2537	0	100	6597
12	C050	M. Sc.	Mathematics	144	0	1860	120	600	336	420	180	60	2537	6000	100	12357
13	C056	M. Sc.	Zoology	144	240	1860	120	600	336	420	180	60	2537	0	100	6597
14	C034	Special Courses	PGDCA	144	240	1260	120	600	336	420	180	60	2537	8000	100	13997

नोट - 1. प्रथम वर्ष में कौशलमयी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त विद्यार्थी से ली जायेगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल बार से आने वाले विद्यार्थी से ही ली जायेगी।

2. परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालयीन नियमानुसार देय होगी।
3. सी.सी.ई. शुल्क प्रथक से देय होगी।
4. शोध शुल्क विश्वविद्यालय नियमानुसार लिया जायेगा।

अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (मुरैना)
वार्षिक शुल्क सत्र 2021 - 22
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

S.No.	Course Code	VERIFIED COURSE	Subject Combinations	शिक्षण शुल्क	विज्ञान शुल्क	विज्ञान प्रायो./भूगोल फण्ड/ कॉमर्स फण्ड/हिन्दी फण्ड	अंकेक्षण शुल्क	शिक्षा संधारण	वाचनालय/पुस्तकालय	जनरेटर डीजल व्यवस्था एवं उपकरण रख-रखाव	नेटवर्क रिसोर्स सेंटर संचाल	स्वच्छता एवं पर्यावरण विकास	वार्षिक शुल्क (वर्ष में केवल एक बार वसूल की जाती है।)	सेल्फ फाइनेंस फीस	कॉशन मनी	योग फीस प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	C028	B. A.	Geography	96	0	360	120	600	204	420	180	60	2537	0	0	4577
2	C028	B. A.	without Geography	96	0	0	120	600	204	420	180	60	2537	0	0	4217
3	C032	B. Com.	Commerce	96	0	1260	120	600	204	420	180	60	2537	0	0	5477
4	C080	B. Sc.	Botany- Chemistry - Microbiology	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	4000	0	10317
5	C085	B. Sc.	Botany- Chemistry - Zoology	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	0	0	6317
6	C116	B. Sc.	Chemistry- Mathematics - Physics	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	0	0	6317
7	C118	B. Sc.	Chemistry- Microbiology - Zoology	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	4000	0	10317
8	C129	B. Sc.	Computer / Application - Mathematics - Phy.	96	240	1860	120	600	204	420	180	60	2537	4800	0	11117
9	C005/ C008	M. A.	Economics / Hindi	144	0	0	120	600	336	420	180	60	2537	0	0	4397
10	C318	M. A.	Geography	144	0	1260	120	600	336	420	180	60	2537	0	0	5657
11	C044	M. Sc.	Chemistry	144	240	1860	120	600	336	420	180	60	2537	0	0	6497
12	C050	M. Sc.	Mathematics	144	0	1860	120	600	336	420	180	60	2537	6000	0	12257
13	C056	M. Sc.	Zoology	144	240	1860	120	600	336	420	180	60	2537	0	0	6497

नोट - 1. प्रथम वर्ष में कॉशनमनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त विद्यार्थी से ली जायेगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल बाहर से आने वाले विद्यार्थी से ही कॉशन मनी ली जायेगी।

2. परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालयीन नियमानुसार देय होगी।

3. सी.सी.ई. शुल्क प्रत्येक से देय होगी।

4. स्नातक तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर च पी.जी.सी.सी.ए. सेमेस्टर पक़ति लागू है।

परीक्षा शुल्क विवरण

- (1) सी.सी.ई. परीक्षा शुल्क—प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा / वार्षिक में 180 /— देय होगा ।
- (2) मुख्य परीक्षा /ATKT शुल्क जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अनुसार देय होगा ।
- (3) प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर पुनः परीक्षा के लिये शुल्क नियमानुसार देय होगा ।

नोट— परीक्षा शुल्क संबंधी विस्तृत जानकारी की सूचना परीक्षा की तिथियों की घोषणा के पूर्व कर दी जायेगी ।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में सुसज्जित, सम्पन्न एवं विशाल पुस्तकालय है । वर्तमान में 45000 से भी अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में है । पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी के दैनिक समाचार-पत्र तथा शोध पत्रिकाएँ मंगाई जाती हैं ।

पुस्तकालय के दो प्रभाग हैं —

- (1) केन्द्रीय पुस्तकालय एवं वाचनालय
- (2) स्नातकोत्तरीय विभागीय पुस्तकालय

विद्यार्थी खाली समय का सदुपयोग वाचनालय में करें । पुस्तकें एवं ज्ञानोपयोगी सामग्री प्राप्त करने हेतु नियमावली का अवलोकन पुस्तकालय सूचना-पटल पर करें —

- (1) दिनेश रावत 'चेयरमेन' (2) ग्रन्थपाल पदेन 'सचिव'

परिचय-पत्र (IDENTITY CARD)

- (1) बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा ।
- (2) परिचय-पत्र के खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने की दशा में नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत कर, प्राचार्य की अनुमति से इसे रु. 50 /— जमा करके डुप्लीकेट परिचय-पत्र प्राप्त करें ।

महाविद्यालय प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति

- (1) महाविद्यालय त्याज्य प्रमाण-पत्र (टी.सी.) सत्रांत में एक बार प्राप्त किया जा सकता है । खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में शपथ-पत्र के साथ रु. 50 /— जमा करने व वचन-पत्र देने पर द्वितीय प्रति दी जा सकेगी । सत्र के मध्य में केवल पिता / संरक्षक के स्थानांतरण होने की दशा में ही प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा ।
- (2) महाविद्यालयीन त्याज्य प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र, प्राप्ति की तिथि से तीन दिन बाद जारी किये जा सकेंगे । जिनका शुल्क क्रमशः 10 /— तथा 20 /— रु. होगा । टी.सी. एवं सी.सी. तत्काल प्राप्त करने हेतु 30 /— रुपये का शुल्क आवेदन-पत्र के साथ जमा करना होगा । कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे तक उसी दिन तत्काल शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही सायंकाल 5.00 बजे टी.सी. / सी.सी. प्रदान की जायेगी । समयावधि के पश्चात प्राप्त तत्काल प्रमाण-पत्र संबंधी आवेदनों पर टी.सी. / सी.सी. अगले कार्य दिवस में ही प्राप्त हो सकेगी ।
- (3) टी.सी. / सी.सी. को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण-पत्र का शुल्क 20 /— रुपये प्रति प्रमाण-पत्र होगा ।
- (4) अंकसूची का सत्यापन शुल्क 200 /— रु. है ।

वाहन व्यवस्था :

दूरस्थ अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की व्यवस्था पर्याप्त माँग और स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत किया जाना प्रास्तावित है ।

पुरस्कार एवं पदक :

महाविद्यालय द्वारा अनुशासित, चरित्रवान, प्रतिभा सम्पन्न एवं निष्ठावान विद्यार्थियों को निम्नांकित आधार पर पुरस्कार एवं पदक प्रदान किये जाते हैं ।

- (1) एम.ए./एम.एस-सी. में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर ।
- (2) एन.सी.सी. में सर्वोत्तम छात्र कैंडिड घोषित होने पर ।
- (3) एन.एस.एस. में आदर्श स्वयं सेवक/सेविका घोषित होने पर ।
- (4) महाविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने पर ।
- (5) एम.ए. भूगोल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्व. सेठ बाबूलाल गुप्त स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है ।
- (6) एम.ए., एम.एस-सी. प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्व. श्री अमर सिंह भदौरिया स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है ।
- (7) स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्व. श्रीमती ममता सिंह पुत्री श्री बृजकिशोर सिंह तोमर (पत्रकार) स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है ।
- (8) स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त कॉमर्स की छात्रा को स्व. सेठ प्रभुदयाल अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक ।
- (9) एम.ए. पू. भूगोल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्व. श्रीमती शकुन्तला देवी स्मृति पदक ।
- (10) स्व. श्रीमती रत्ना देवी/स्व. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक बी.ए. में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को ।
- (11) स्व. सेठ प्रभुदयाल अग्रवाल एवं स्व. श्रीमती कलावती अग्रवाल स्मृति छात्रवृत्ति (निर्धन छात्राओं के लिये) उनके सुपौत्र डॉ. नारायण कुमार अग्रवाल द्वारा प्रदत्त किया जाता है ।
- (12) अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार, एम.ए. अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को सर्वोत्तम अकादमिक प्रदर्शन करने पर डा. कमल भारद्वाज द्वारा दिया जाता है ।

नोट -

- (1) छात्रवृत्ति से सम्बंधित जानकारी समय-समय पर कार्यालय से प्राप्त करते रहें ।
- (2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (अ.नु.जा./अनु.ज.जा./पि.वर्ग) के विद्यार्थियों को शासन के नियमानुसार दी जाती है । मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (अ.नु.जा./पि.वर्ग)
- (3) अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के संबंध में म. प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ।

महाविद्यालय के नियमित पात्र-विद्यार्थियों को शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलता है ।

इसके लिए प्रभारी प्राध्यापक अथवा समिति के सदस्य से विद्यार्थी सम्र्क करें ।

विशेष :

भारत शासन/म.प्र. शासन से प्राप्त होने वाली अन्य छात्रवृत्तियों से संबंधित सूचना श्री अजीत जैन (कार्यालय) से प्राप्त करें ।

अम्बाह सनातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, अम्बाह

2021-2022

1. अनुशासन समिति (PROCTORIAL BOARD)

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखने हेतु महाविद्यालय में अनुशासन समिति कार्यरत है। आचार संहिता का उलंघन करने, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने एवं रेगिंग के आरोप में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को है। यह समिति छात्र कल्याण समिति के रूप में भी कार्य करती है।

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. डॉ. व्ही.के. जैन | चीफ प्रॉक्टर |
| 2. डॉ. मनोज कुमार शर्मा | प्रॉक्टर |
| 3. डॉ. दिवाकर श्रोत्रिय | प्रॉक्टर |
| 4. डॉ. श्रीमती मंजू तोमर | प्रॉक्टर |
| 5. डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय | प्रॉक्टर |
| 6. श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर | सदस्य |
| 7. डॉ. राजकुमार सिंह तोमर | सदस्य |

2. एन.सी.सी. सीनियर डिवीजन

जिन छात्रों ने गत वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें 2021-22 में एन.सी.सी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। शेष स्थानों की पूर्ति प्रथम वर्ष के छात्रों में से नियमानुसार की जायेगी। एन.सी.सी. में निर्धारित संख्या 213 (छात्र) 106 (छात्रा) क्रेडिट हैं, वर्तमान में इस संगठन से संबंधित तीन ए.एन.ओ. हैं।

- मेजर व्ही. के. जैन
- कैप्टन मनोज कुमार शर्मा
- लेफ्टीनेंट मंजू तोमर।

महाविद्यालय के कैडेट विगत वर्षों में आर.डी.सी. परेड एवं थल सैना कैम्प नई दिल्ली में भाग लेते रहे हैं तथा देश, प्रदेश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतते रहे हैं।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

गत सत्र में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को बी-प्रमाण-पत्र हेतु इस वर्ष पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शेष स्थानों की पूर्ति प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में से की जावेगी। इसके अधिकारी निम्नांकित हैं -

- श्री पंकज सिंह भदौरिया कार्यक्रम अधिकारी, इकाई क्र. (छात्र)
- डॉ. रक्षा कम्ठान कार्यक्रम अधिकारी, इकाई क्र. 2 (छात्रा)
- कु. नेहा श्रीवास्तव कार्यक्रम अधिकारी, इकाई क्र. 3 (छात्रा)

महाविद्यालय के स्वयंसेवक विगत वर्षों में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत हुए हैं।

4. रेडक्रॉस (Redcross)

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. श्री मुकेश श्रीवास | प्रभारी |
| 2. डॉ. आनंद देशपांडे | सदस्य |
| 3. श्री शमीम अहम गौरी | सदस्य |
| 4. डॉ. राजकुमार सिंह तोमर | सदस्य |
| 5. श्री रामनरेश शर्मा | सदस्य |

महाविद्यालय की रेडक्रॉस इकाई ने विकलांग सेवा एवं रक्तदान में विशेष ख्याति अर्जित की है।

समितियाँ 2021-2022

1 जुलाई 2021 से प्रभावशील

1. महिला उत्पीड़न निरोधक समिति	- डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	प्रभारी
	श्रीमती लक्ष्मी सैनी	सदस्य
2. एन्टी रैगिंग समिति	- डॉ. मनोज कुमार शर्मा	प्रभारी
	डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय	सदस्य
3. समय – सारिणी समिति	- डॉ. कमल भारद्वाज	प्रभारी
	डॉ. व्ही. के. जैन	सदस्य
	डॉ. दिनेश रावत	सदस्य
	डॉ. ब्रजमोहन बंसल	सदस्य
4. प्रवेशोत्सव एवं दीक्षारम्भ	- डॉ. कमल भारद्वाज	सदस्य
5. परिचय पत्र लेखा समिति	- श्रीमती रक्षा कम्ठान	प्रभारी
	श्री ब्रजेश राठौर	सदस्य
	श्री शैलेन्द्र तोमर	सदस्य
6. युवा उत्सव कार्यक्रम	- डॉ. शशिवल्लभ शर्मा	प्रभारी
7. क्रीड़ा समिति	- श्री व्ही. एस. गुर्जर	प्रभारी
8. अभिलेख प्रमाणीकरण समिति	- डॉ. मंजु तोमर	प्रभारी
9. सूचना का अधिकार समिति	- श्री व्ही. मेढेकर	प्रभारी
10. पुस्तकालय समिति	- डॉ. निदेश रावत	प्रभारी
11. छात्र संघ निर्वाचन एवं परामर्श मंडल	- श्री व्ही. मेढेकर	प्रभारी
12. भूतपूर्व विद्यार्थी परिषद	- श्री मुकेश श्रीवास	प्रभारी
13. प्रवेश विवरणिका समिति	- श्री व्ही. मेढेकर	प्रभारी
	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	सदस्य
14. वार्षिक पत्रिका प्रकाशन समिति	- डॉ. शशिवल्लभ शर्मा	सम्पादक
	डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	सह सम्पादक
15. शोध समिति	- डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	प्रभारी
16. कॉलेज वेबसाइट एवं ऑनलाइन कार्य समिति	- श्री एस. ए. गौरी	प्रभारी
	कृ. नेहा श्रीवास्तव	सदस्य
	श्री अजीत जैन	सदस्य
17. सोशल मिडिया प्रभारी	- डॉ. दिनेश रावत	प्रभारी
18. नेक प्रभारी	- डॉ. कमल भारद्वाज	प्रभारी
19. IQAC प्रभारी	- डॉ. व्ही. के. जैन	प्रभारी
20. सी.एम. हेल्पलाइन प्रभारी	- डॉ. मनोज कुमार शर्मा	प्रभारी

छात्रवृत्तियाँ -

1. विक्रमादित्य, गॉव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना	- डॉ. मनोज कुमार शर्मा	प्रभारी
2. मुख्यमंत्री मेधावी एवं श्रमिक कल्याण योजना	- डॉ. रमाकांत शर्मा	प्रभारी
3. इन्सपायर छात्रवृत्ति एवं सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप	- श्री डी. के. शर्मा	प्रभारी
4. नेशनल स्कॉलरशिप एवं दिव्यांग छात्रवृत्ति	- डॉ. राजकुमार सिंह तोमर	प्रभारी
5. अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति	- श्री मुकेश श्रीवास	प्रभारी
6. अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	- डॉ. बी. एम. बंसल	प्रभारी

प्रकोष्ठ -

1. विद्यार्थी समस्या एवं शिकायत प्रकोष्ठ
2. रोजगार नियोजन एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ
3. शिक्षक पालक प्रकोष्ठ
4. उद्यमिता जाग्रति प्रकोष्ठ
5. स्वास्थ्य प्रकोष्ठ
6. अंकुर कार्यक्रम

- | | |
|---------------------------|---------|
| - श्री दिवाकर शर्मा | प्रभारी |
| श्री व्ही.एस. गुर्जर | सदस्य |
| - डॉ. व्ही. के. जैन | प्रभारी |
| डॉ. शशिवल्लभ शर्मा | सदस्य |
| - डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय | प्रभारी |
| श्री पंकज सिंह भदौरिया | सदस्य |
| - डॉ. बी.एम. बंसल | प्रभारी |
| - डॉ. दिवाकर श्रोत्रिय | प्रभारी |
| - डॉ. शशिवल्लभ शर्मा | प्रभारी |

व्यवस्था समिति -

7. पेय जल व्यवस्था समिति
8. जनरेटर, विद्युत एवं वाहन व्यवस्था समिति
9. स्वच्छता एवं पर्यावरण समिति
10. जल संरक्षण एवं सम्वर्धन समिति
11. कॉमन रुम व्यवस्था समिति
12. समन्वय समिति

- | | |
|--------------------------|------------|
| - कु. नेहा श्रीवास्तव | प्रभारी |
| श्री रामनरेश शर्मा | सदस्य |
| - श्री पंकज सिंह भदौरिया | प्रभारी |
| श्री राधामोहन गुप्ता | सदस्य |
| श्री राजवीर शर्मा | सदस्य |
| श्री रामनरेश शर्मा | सदस्य |
| श्री ब्रज किशोर | सदस्य |
| - श्री दिवाकर शर्मा | प्रभारी |
| श्री विजय उपाध्याय | सदस्य |
| - डॉ. आनंद देशपाण्डे | प्रभारी |
| श्री उमेश राठौर | सदस्य |
| - डॉ. मंजु तोमर | प्रभारी |
| श्री नेहा श्रीवास्तव | सह प्रभारी |
| श्रीमती लक्ष्मी सैनी | सह प्रभारी |
| - श्री व्ही. मेढेकर | प्रभारी |
| डॉ. कमल भारद्वाज | सदस्य |
| डॉ. दिनेश रावत | सदस्य |
| श्री दिवाकर शर्मा | सदस्य |
| डॉ. बी.एम. बंसल | सदस्य |
| डॉ. आनंद देशपाण्डे | सदस्य |

स्वशासी परीक्षा मण्डल -

1. प्राचार्य
2. प्रो. व्ही. मेढेकर
3. श्री दिवाकर शर्मा
4. श्री शमीम अहमद शर्मा

- | |
|------------------|
| - मुख्य नियंत्रक |
| - नियंत्रक |
| - सह नियंत्रक |
| - सह नियंत्रक |

स्नातकोत्तरीय परिषदें -

1. आर्थिक परिषद
2. चर्मण्वती भूगोल
3. हिन्दी भाषा परिषद
4. रसायन परिषद
5. जन्तु विज्ञान परिषद
6. गणित परिषद

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - डॉ. मनोज कुमार शर्मा | परामर्शदाता |
| - डॉ. राजकुमार सिंह तोमर | परामर्शदाता |
| - डॉ. श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल | परामर्शदाता |
| - श्री मुकेश श्रीवास | परामर्शदाता |
| - श्री दिनेश शर्मा | परामर्शदाता |
| - श्री ब्रजेश राठौर | परामर्शदाता |

महत्वपूर्ण निर्देश

1. महाविद्यालय में नगद लेन-देन पूर्णतः बंद है । समस्त देयकों की अदायगी एम.पी. ऑनलाइन/बैंक डी.डी./पी.ओ.एस. मशीन द्वारा ही करनी होगी ।
2. किसी भी शुल्क के भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि में संबंधित दस्तावेज जमा कराना/भुगतान की पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य है । निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी क्षति के लिए संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।
3. महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है ।
4. महाविद्यालय परिसर में पौधों को क्षति पहुँचाना, फूल-पत्ती तोड़ना दण्डनीय है ।
5. महाविद्यालय में स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी है । गंदगी करना दण्डनीय है ।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय - 462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक : 15/07/2021

क्रमांक : 544/94/सीसी/2021/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2021-22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं ।
सलग्न- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक : 545/94/सीसी/2021/अड़तीस

भोपाल, दिनांक : 15/07/2021

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र. ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र. ।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र. ।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, म.प्र. ।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र. ।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. ।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी. नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र. ।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग



उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2021-22

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवीं मंजिल, भोपाल – 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर : 0755-2551698, 2554763

E-mail :- epravesh12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :- 0755-6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है ।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
सत्र 2021-22
अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
1	प्रयुक्ति		4
2	पोर्टल की जानकारी		4
3	आयु संबंधी प्रावधान		4
4	अर्हकारी परीक्षा 10+2 से संकाय, परिवर्तन संबंधी निर्देश		4
5	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता		4-6
6	प्रवेश प्रक्रिया		6-12
6.1	पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया		6
6.2	पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश		7
6.3	महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया		7
6.4	पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया	6.4.1 अंक सूची संबंधी	7
		6.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी	8
		6.4.3 संवर्ग प्रमाण-पत्र संबंधी	8
		6.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी	8
		6.4.5 मूल निवासी संबंधी	8
6.5	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ई-सत्यापन प्रक्रिया	6.5.1 ई-सत्यापन संबंधी निर्देश	9
		6.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश	9-10
6.6	ऑनलाईन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन	6.6.1 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण	10
		6.6.2 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया	10
6.7	महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाईन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश		11
6.8	ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया	6.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :	11
6.9	प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया		12
6.10	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया		12
7	द्वितीय चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		12
8	ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		13
9	शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश		14
10	रुक जाना नहीं अन्तर्गत प्रवेश		14
11	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश		14
12	पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश		14
13	मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएँ	13.1 मुख्यमंत्री मेंढावी विद्यार्थी (MMVY) योजना	15
		13.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY)	15
		13.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना	16
14	वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)		17
15	विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया		17

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
16	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		18
17	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		18
18	स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान		18
19	प्रावधि प्रवेश हेतु पात्रता		18-19
20	प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)	20.1 स्नातक स्तर 20.2 स्नातकोत्तर स्तर 20.3 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश 20.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश 20.6 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान 20.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश 20.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संयोजित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया	19 19 19 19 20 20 20
21	स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम		20
22	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम		21
23	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	23.8 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया	21
24	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम		22-23
25	प्रवेश की पात्रता	25.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा	23
26	विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता		24
27	बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम		24
28	आरक्षण	28.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश	25-26
29	अभिभार	29.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाइड्स/रेन्जर्स) 29.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विजंज/रूपकन प्रतियोगिताएँ	27 27
30	प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान	29.8 विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright) 30.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार 30.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया 30.3 हितग्राही योजना परिवर्तन 30.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन	28 29 29 30 30
31	परिशिष्ट 1 एवं 2		32-35
32	परिशिष्ट 3 ऑनलाईन प्रवेश समय-सारणी		36-37
33	सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ Frequently Asked Questions)		38-46

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सत्र 2021-22)

1. प्रयुक्ति :-

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी. आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. पोर्टल की जानकारी :-

पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधान :-

वर्ष 2017-18 प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु क्रमांक 93 क, ख, ग, घ, ङ, च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. अर्हकारी परीक्षा 10+2 से संकाय/विषय परिवर्तन संबंधी निर्देश :-

स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।

5. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-

5.1 स्नातक स्तर हेतु :- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

सं.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./ बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह) (जीव विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे- माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय) (टीप:- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
7	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 5.1.6 का अवलोकन करें)।

5.1.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है ।

स्पष्टीकरण – मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड. से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी.बोर्ड./पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी । अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5.1.2 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12 वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।

5.1.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 667/175/सीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे । (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो ।)

5.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे ।

5.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक – माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है । उपरोक्त विषयों से साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा । ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्रा प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा । किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जावेगा । विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा । आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है ।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :-

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./ एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी ।

सं.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1.	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बॉ.कॉम
2.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
3.	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
4.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5.	एम.एस.डब्ल्यू	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत आवश्यक)

- 5.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5.2.2 पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
6. **प्रवेश प्रक्रिया :-**
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2021-22 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाईन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाईन पंजीयन, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा।
- 6.1 **पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया :-**
- 6.1.1 ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।
- 6.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी आई.डी. की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिवर्सिटी आई.डी. के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात नियमित विद्यार्थी के लिए "/आर" (/R) और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए "/पी" (/P) का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे-"/बीयू" (/BU) अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिवर्सिटी आई.डी. यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे- "/बीयू/डी.ए.वि.वि" (/BU/DAVV) अंकित किया जाएगा।
- 6.1.3 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाईन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।
- 6.1.4 पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे- नाम माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- 6.1.5 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंकित वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम तथा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के कुल अंकों की प्रावीण्य प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- 6.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा :-

सं.क्र.	चरण	शुल्क	विशेष
1.	प्रथम चरण में पंजीयन	100/-	समस्त छात्राओं को निःशुल्क
2.	द्वितीय चरण में पंजीयन	250/-	विलंब शुल्क सहित ।
3.	सी.एल.सी चरण में पंजीयन	500/-	विलंब शुल्क सहित ।
4.	पोर्टल शुल्क	50/-	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए ।

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तत्पश्चात् ही ऑनलाईन ई-सत्यापन होगा ।

6.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :-

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है । प्रदेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाईन अपलोड करना होगा ।

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

6.3 महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2021-22 की ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे ।

6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :-

पंजीयन के समय आवेदक को ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन पर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) -

(अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर ।

(मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.1 का अवलोकन करें)

(ब) जाति प्रमाण पत्र-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.2 का अवलोकन करें)

(स) संवर्ग प्रमाण पत्र-(दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.3 का अवलोकन करें)

(द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.4 का अवलोकन करें)

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

6.4.1 अंक सूची संबंधी :-

(अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डालन लोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी ।

- (ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छटवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम (पांचवें) सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करेंगे ।

6.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी –

आयुक्त उच्च. शिक्षा के पत्र क्रमांक 352 / 243 / आउशि/ शा-5 अ/ 2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है ।

- (अ) ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा । उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा ।
- (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे ।

6.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी :-

संवर्ग प्रमाण-पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 28 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण-पत्र अपलोड करें ।

6.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण-पत्र संबंधी :-

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2017-18 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे ।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2018-19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे ।
- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ ही वर्ग में दिया जायेगा । आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें ।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 29 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें ।

6.4.5 मूल्य निवासी संबंधी –

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की हैं, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- (ब) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12 वीं की परीक्षाएँ अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :-

- (अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जावेगी।
- (ब) सत्र 2021-22 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा।
- (स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अभिभार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण-पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

6.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :-

- (अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय आवंटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
- (ब) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- (स) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

6.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश :-

- (अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से भी दी जावेगी।
- (स) ऑनलाई प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Centre) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/पुनः सत्यापन करवा सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय (Help Centre) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पर्ची (ऑनलाईन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।
- (द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- (य) अपवाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Centres) के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाईन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित की जावेगी। शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुधार किया जायेगा त्रुटि सुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों के संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी सहायता केन्द्रों की होगी ।

- (र) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत/सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा ।

6.6 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन :-

सत्र 2021-22 से ऑनलाईन ई-प्रवेश की प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण में महाविद्यालयों की कुल वास्तविक सीटों के विरुद्ध आवंटन की प्रक्रिया 1.25 प्रतिशत से की जावेगी, जिससे प्रथम एवं द्वितीय चरण में अधिक से अधिक आवेदकों को उनके द्वारा दी गई वरीयतानुसार प्रवेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

6.6.1 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :-

- (अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा । सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी ।

- (ब) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण :-

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.सल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा । ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे ।

6.6.2 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया -

- (अ) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी । आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाईन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे । शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी ।

- (ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे ।

- (स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर/ई-मेल पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे ।

- (द) सत्र 2021-22 की प्रवेश -प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी । आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाईन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि एक कर सकेंगे ।

- (य) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा । उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में पूर्वानुसार ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा ।

- 6.7 महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाईन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश :-
- 6.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे । आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है । आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है । आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा ।
- 6.7.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाईन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जावेगी । आवेदक ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे ।
- 6.8 ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया :-
- (अ) कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रुपये 1,000/- (नामांकन शुल्क सहित) ऑनलाईन जमा करना होगा । इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपनी सहमति दर्ज करनी होगी । जिससे आवेदकों को पृथक से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा । प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा । मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्या (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी ।
- (ब) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा ।
- (स) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही । आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर प्राप्त करेगा ।
- 6.8.1 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाईन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-
आवेदक द्वारा ऑनलाईन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है । एडमिशन स्लिप का बाद में भी पोर्टल से प्रिंट लिया जा सकता है । आवेदक को प्रवेश रसीद (Admission Slip) का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है । इस हेतु मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.9 का अवलोकन करें ।
- 6.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-
आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है । प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा । अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा ।
महत्वपूर्ण - विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा । अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे । यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी । महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है ।

- 6.9 उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया :-
कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/अशासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- 6.10 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयाविध में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
7. द्वितीय चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-
प्रथम चरण पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.1 पुनः विकल्प चयन प्रक्रिया
- 7.1.1 प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा।
- 7.1.2 आवेदक स्वेच्छानुसार अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे, परन्तु प्रथम चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भर दे।
- 7.1.3 प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयता/विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 7.1.4 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 7.1.5 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु क्रमांक 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तदनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- 7.2 आवंटन प्रक्रिया :-
- 7.2.1 द्वितीय चरण में महाविद्यालयों की कुल वास्तविक सीटों के विरुद्ध आवंटन की प्रक्रिया 1.25 प्रतिशत से की जावेगी, जिससे द्वितीय चरण में अधिक से अधिक आवेदकों को उनके द्वारा दी गई वरीयतानुसार प्रवेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।
- 7.2.2 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को द्वितीय चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.2.3 समय सारणी अनुसार द्वितीय चरण में प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया प्रथम चरण अनुसार ही सम्पन्न की जायेगी।

8. ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-
 - 8.1 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी ।
 - 8.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी । महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे ।
 - 8.3 प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय में मूल सीटों के विरुद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जायेगा ।
 - 8.4 सी.एल.सी. चरण में समय-सारणी अनुसार द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 28.1 से 28.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 28.12 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी ।
 - 8.5 ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे ।
 - 8.6 प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाईन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है ।
 - 8.7 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा ।
 - 8.8 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है । समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे । इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु क्रं 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तदनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें ।
 - 8.9 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी ।
 - 8.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी ।
 - 8.11 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पाई जाती है । तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉड्यूल में दर्ज किया जायेगा । ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगी । साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय कुल सचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे ।
9. शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश :-
शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय द्वारा, प्रथम/द्वितीय/सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदकों की प्रवेश शुल्क की राशि ऑनलाईन निरस्तीकरण पश्चात्, प्रक्रिया शुल्क रु. 100/- काटकर शेष राशि संबंधित आवेदक के द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किये गये खाते में अंतरित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए ।

10. **रुक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश** — ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
11. **शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश :-**
कंडिका 25.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी।
12. **पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश :-**
- 12.1 ऑनलाईन सी.एल.सी चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाईन सी.एल.सी चरण में प्रवेश दिया जावेगा।
- 12.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।
- 12.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
(नोट: इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी)
- 12.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष वापस की जाएगी।
13. **म.प्र शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएँ :-**
- 13.1 **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना :-**
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।
इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।
- 13.1.1 **पात्रता की शर्तें :-**
 - (i) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
 - (ii) विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रुपये से कम हो।
 - (iii) विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

13.1.2. योजना का स्वरूप —

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्रम. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

13.1.3 स्पष्टीकरण :- प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

13.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY):-

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय-समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

3.2.1 पात्रता की शर्तें :-

- यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी।
- विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

13.2.2 योजना का स्वरूप :-

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

13.2.3 स्पष्टीकरण :- स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

13.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात् की प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।

13.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ, भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.05.2021 के अनुसार-

13.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) —

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

13.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3) —

परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)

बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐस बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)

“कोविड-19 से मृत्यु” का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक अवधि में हुई।

13.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4)

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

13.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट-5.3.2) –

(अ) शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका- ‘अ’ अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रुपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में की जावेगी।

13.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-5.3.4)

13.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)

13.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)

16. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

16.1 म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772/216/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एस-सी, बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।

16.2 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., बी.एस-सी, बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

18. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

सत्र 2021-22 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- 18.1 सत्र 2021-22 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में हैं तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जायेगा । (अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।)
- 18.2 सत्र 2020-21 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में हैं तभी उक्त विषय में सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जायेगा । (अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।)
- 18.3 सत्र 2021-22 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा ।
19. **प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-**
- 19.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है ।
- 19.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम में चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा । गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा । स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे ।
- 19.3 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक, प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है । अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- 19.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेगे । स्नातक तृतीय वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधि रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा ।
- 19.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी ।
20. **प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु) :-**
- प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा ।
- 20.1 स्नातक स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा । शेष वर्षों में (द्वितीय व तृतीय वर्ष)/शेष सेमेस्टर्स में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी । यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन ही होगी ।
- 20.1.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण/एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी ।
- 20.1.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम बार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्र होगी । लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी ।
- 20.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा । तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी । तृतीय सेमेस्टर में

- पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी । लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी ।
- 20.3 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश— नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रमोट किया जाएगा । स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार 500/— प्रथम किश्त के रूप में ऑनलाईन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे । स्नातक स्तर पर MMVY/MMJKY के विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे । स्नातकोत्तर स्तर पर MMJKY के विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करें । कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 30/— देय होगा । प्रवेश शुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा तीन किश्तों में महाविद्यालय आरंभ होने पर ऑनलाईन जमा की जावेगी ।
- 20.4 सत्र 2021-22 से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 13.3) के अंतर्गत नियमानुसार पात्र विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है ।
- 20.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश —
कंडिका 25.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा । इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा । स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- 20.6 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :— मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रयोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे ।
- 20.6.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/38-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2021-22 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रदेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2020-21 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर की द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमिति प्रवेश ले सकेंगे ।
- 20.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश :— जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे । उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारम्भ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा ।
- 20.8 पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ।

- 20.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे । ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा ।
21. **स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :-**
- 21.1 सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी । वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी ।
- 21.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधि प्रवेश की पात्रता होगी । पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा ।
- 21.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी ।
- 21.4 स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे ।
- 21.5 **विशेष परीक्षार्थी :** कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 1204/387/आउशि/श-5'अ'/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित पूरक परीक्षाओं में (संबंधित वर्ष की परीक्षाओं के साथ) पूरक प्राप्त/नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी ।
22. **स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम :-**
- 22.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी ।
- 22.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा ।
- 22.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी ।
- 22.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे ।
23. **प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :-**
- 23.1 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा । प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में वृद्धि हेतु शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र. 708/484/आउशि/शा-5'अ'/2018, दिनांक 18 अगस्त 2018 के परिपालन में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे । सीट वृद्धि की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित समय-सीमा में मान्यता प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा ।
- 23.2 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे ।
- 23.3 इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

- 23.4 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रदेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विभागीय (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।
- 23.5 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
- 23.6 प्रवेश प्रक्रिया से अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
24. **समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :-**
- 24.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।
- 24.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 24.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 24.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 24.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।
- 24.6 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते, विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिक बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधी संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र करने के लिए किए गए ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी

विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

24.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

25. **प्रवेश की पात्रता :-**

25.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा**

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूदान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे।

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा (12 B of UGC Act. प्रदेश में के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

26. **विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-**

26.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

26.2 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थी/अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हो या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं है।

26.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.

सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी. 11) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी दिर्नेशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

- 26.4 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 26.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
27. **बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-**
- 27.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस-सी/बी.एस-सी. (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 27.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 27.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 27.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 27.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.8 प्रवेश उपरान्त उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग के समय संबंधित शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/आव्रजन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/पुलिस सत्यापन/चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
28. **आरक्षण :-**
- मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-
- 28.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीटें उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी आवेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

- 28.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे । इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे ।
- 29.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे । (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 28.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशुल्क हुई सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे । इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु या आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा । भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –
1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित ।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित ।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित ।
 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित—परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख ।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल ।
 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।
- 28.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा । दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा ।
- 28.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5 'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा ।
- 28.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा ।
- 28.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे ।
- 28.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे ।

28.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी ।

28.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :—

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा ।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा । अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी ।

28.11.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे —

(अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र ।

(स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने को मान्य प्रमाण पत्र ।

(द) रजिस्ट्रार फार्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गवर्निंग बॉडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र ।

(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्यावार/संकायवार एकजाई जानकारी ।

(र) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संसीन का आवेदन ।

28.11.2 क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन कंडिका 28.11.1 में उल्लेखित 6 प्रमाण-पत्र/प्रपत्रों की ऑनलाईन अपलोड प्रतियों के आधार पर किया जाएगा ।

28.12 कंडिका 8.4 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी, अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे ।

28.13 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा ।

28.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा । संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य दर्ज करेंगी ।

29. अधिभार :—

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा । पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है । सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा ।

29.1 एन.सी.सी./ एन.एस.एस./ स्काउट्स (स्काउट/ गाईड्स/ रेन्जर्स)

क	एन.सी.सी./ एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
ख	एन.सी.सी./ एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपन उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
ग	एन.सी.सी./ एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	4 प्रतिशत
घ	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
च	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कॉन्टिनजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
छ	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
ज	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
झ	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
य	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
र	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
ल	एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
व	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

29.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

29.4 खेलकूद/ साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएँ

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/ संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	2 प्रतिशत
ख	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	4 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 29.4(1) में उल्लेखित विभाग/ संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (Inter Zonal) एवं मध्य राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/ अन्तर संभाग/ अन्तर जिला में :-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी/ टीम के प्रत्येक सदस्य को	7 प्रतिशत
ख	जिले के दल से संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	5 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन/ एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में :-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को	15 प्रतिशत
ख	प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को	10 प्रतिशत

29.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
29.6	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में –	
	क मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
	ख प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी/दल के सदस्यों को	15 प्रतिशत
	(अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है ।)	
29.7	जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत

29.8 विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright) :-

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी गुणानुक्रम (Outright) के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं । संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्र. 7678/खेयु/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है ।

1.	साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के प्रवेश
2.	भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी	
3.	एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स	
4.	ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनेवेल्थ गेम्स, वर्ल्डकप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनेवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसिएशन ऑफ इन्डियन यूनिवर्सिटीस (AIU) की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थी को	

29.9 पंजीयन आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड किये जा रहे दस्तावेजों के लिए पूर्व में ही अनिवार्य होगा कि –

- (1) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाये ।
- (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
- (3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जाये ।

- (4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया जावे ।
 - (5) एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावे ।
 - (6) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अन्तर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात् दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- 29.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अभिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 29.4 (3) के अनुरूप होगी ।
30. **प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-**
- 30.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार -
- 30.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- 30.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था ।
- 30.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा । प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा । तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी । प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी ।
- 30.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 26.2 एवं 26.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा ।
- 30.2 **प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-**
शुल्क वापसी की प्रक्रिया का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 30.2.1 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने/प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने/प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रुपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कौशन मनी सहित) वापस किया जाएगा ।
- 30.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कौशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।
- 30.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी ।
रिमार्क : यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे ।
- 30.3 **हितग्राही योजना परिवर्तन :-**
- 30.3.1 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्राप्ताह) योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे । योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा ।
- 30.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे । महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे ।

30.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन :-

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।

30.5 अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।

30.6 अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है। तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः अकादमिक शाखा, आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, म.प्र. भोपाल को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त समय-सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

30.7 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2021-22 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 6.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।

30.8 प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी - एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

30.9 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रावधान/व्यवस्था- ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्ष में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हें पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

30.10 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा के है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

संलग्न : अकादमिक कैलेंडर सत्र 2021-22 (परिशिष्ट 1 एवं 2)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**अकादमिक कैलेंडर सत्र 2021-22
(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)**

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
आरंभिक कक्षाएँ	01 सितम्बर 2021	21 जनवरी 2022
शैक्षणिक कार्य	01 सितम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021	21 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022
सी.सी.ई. कार्य	नवम्बर द्वितीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रयोगिक परीक्षाएँ	15 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य	01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	06 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021	21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022
सेमेस्टर एवं ए.टी.के.टी. परीक्षा	16 दिसम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022	01 मई 2022 से 21 मई 2022
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	12 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022	22 मई से 30 जून 2022 (कुल 40 दिवस)
परीक्षा परिणमों की घोषणा	31 जनवरी 2022 तक	30 जून 2022 तक

- उत्सव कार्यक्रम : अक्टूबर (प्रथम सप्ताह) 2021
- छात्रसंघ गठन : अक्टूबर – 2021
- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीक्षांत समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ : माह नवम्बर तक पूर्ण कर ली जाएँ ।
- दीपावली अवकाश : दिनांक 01 नवम्बर से 06 नवम्बर 2021 तक (05 कार्य दिवस)
- स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण : मार्च 2022 द्वितीय सप्ताह
वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन (अधिकतम 03 कार्य दिवस)

टीप :-

- (1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की आये ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके ।
- (2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये ।
- (3) शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जावे ।

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	सितम्बर 2021	30	4 रविवार + 0 अवकाश	26
2	अक्टूबर 2021	31	5 रविवार + 4 अवकाश	22
3	नवम्बर 2021	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
4	दिसम्बर 2021	31	4 रविवार + 01 अवकाश	26
5	11 जनवरी 2022 तक	11	2 रविवार + 0 अवकाश	09
	कुल दिवस	133	26	107

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22

क्रमांक	क्रमांक	कार्य दिवस
1	01 सितम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक कुल कार्य दिवस	107
2	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश – 02 2. दीपावली अवकाश – कुल 5 कार्यदिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियाँ – 06 कार्य दिवस 4. परीक्षा-21 कार्य दिवस-	34
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (107-34)	73

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	21 जनवरी 2022	11	2 रविवार + 1 अवकाश	08
2	फरवरी 2022	28	4 रविवार + 1 अवकाश	23
3	मार्च 2022	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
4	अप्रैल 2022	30	4 रविवार + 5 अवकाश	21
5	मई 2022	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
6	जून 2022	30	4 रविवार	26
	कुल दिवस	161	33	128

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1	21 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक कुल कार्य दिवस	128
2	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियाँ- 03 कार्य दिवस 2 स्थानीय अवकाश- 01 2. परीक्षा 17 कार्य दिवस 3. ग्रीष्म अवकाश 34 कार्य दिवस	55
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (128-55)	73

**सत्र 2021-22 अकादमिक कैलेंडर
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)**

सं.क्र.	विवरण	तिथि
1.	प्रवेश प्रारंभ	01 अगस्त 2021
2.	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01 सितम्बर 2021
3.	प्रवेश उत्सव कार्यक्रम	अक्टूबर 2021
छात्र संघ/ सांस्कृतिक, साहित्यिक/खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ		
1.	छात्रसंघ संठन	अक्टूबर 2021
2.	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएँ	ये सभी गतिविधियाँ नम्बर 2021
3.	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./सेवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	तक पूर्ण कर ली जाएँ ।
4.	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	मार्च प्रथम सप्ताह 2022 (अधिकतम 04 कार्य दिवस)
आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ		
1.	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.10.21 से 23.10.2021
2.	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	30.10.2021
3.	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	नवम्बर के अंतिम सप्ताह 2021
4.	छ:माही आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी के अंतिम सप्ताह 2022
5.	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	21 मार्च 2022
6.	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	01 मार्च से 25 मार्च 2022
7.	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2022
8.	वार्षिक परीक्षा प्रारंभ	01 अप्रैल 2022 से 21 मई 2022
9.	सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	30 जून 2022
अवकाश		
1.	दीपावली	दिनांक 01 नवम्बर से 06 नवम्बर 2021 तक (05 कार्य दिवस)
2.	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	22.05.2022 से 30.06.2022 (कुल 40 दिवस)

- नोट :- 1. स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए ।
2. कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक से कम हो जाने के कारण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार हो जावे । साथ ही साथ ऑनलाईन अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाए ।

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का विवरण	
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	18 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्रसंघ गठन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि	15 कार्य दिवस
	योग	93
(ब)	परीक्षा/ग्रीष्मअवकाश एवं अन्य अशैक्षणिक दिवस	
	कोविड 19 महामारी के कारण सत्र 2021-22 के प्रारम्भ होने में विलम्ब के दिवस	51
1.	परीक्षा पूर्व तैयारी	05 कार्य दिवस
2.	परीक्षा अवधि	38 कार्य दिवस
3.	ग्रीष्म अवकाश	34 कार्य दिवस
	योग	128 कार्य दिवस
(स)	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) (93+128) = 221	221 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस (365-221) = 144	144 शैक्षणिक कार्य दिवस

नोट :- कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक से कम हो जाने के कारण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार हो जावे । साथ ही साथ ऑनलाईन अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाए ।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
ऑनलाईन प्रवेश समय-सारणी
सत्र 2021-22 (epravesh.mponline.gov.in)

क्र.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		कुल दिवस	स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)		कुल दिवस
		दिनांक से	दिनांक तक		दिनांक से	दिनांक तक	
	प्रथम चरण						
1.	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना ।	01-08-2021	12-08-2021	12	01-08-2021	07-08-2021	07
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	02-08-2021	14-08-2021	13	02-08-2021	09-08-2021	08
2.	(अ) प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना ।	20-08-2021	—	06	14-08-2021	—	05
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना । (भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जायेगा)	20-08-2021	25-08-2021	06	14-08-2021	19-08-2021	06
	(स) प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रवेशित संस्थान द्वारा प्रवेश निरस्त कराना (प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात् विद्यार्थी पुनः विकल्प चयन कर ही आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे) ।	21-08-2021	25-08-2021	05	15-08-2021	19-08-2021	05
	(द) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना ।	01-08-2021	25-08-2021	25	01-08-2021	19-08-2021	19
	द्वितीय चरण						
3.	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु रिक्त रह गये स्थानों की महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/आरक्षण वर्गवार पोर्टल पर जानकारी ।	27-08-2021 5.00 pm	—	02	21-08-2021 5.00 pm	—	02
	(ब) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन तथा पूर्व से पंजीकृत एवं प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदकों द्वारा महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना ।	28-08-2021	03-09-2021	07	22-08-2021	28-08-2021	07
	(स) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (छात्रों को सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन छात्रों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थिति होकर सुधार करवाना)	29-08-2021	05-09-2021	08	23-08-2021	30-08-2021	08
4.	(अ) द्वितीय चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना ।	10-09-2021	—	05	06-09-2021	—	07
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना । (भुगतान किए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	10-09-2021	14-09-2021	05	06-09-2021	11-09-2021	06
	(स) प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रवेशित संस्थान द्वारा प्रवेश कराना (प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात् विद्यार्थी पुनः विकल्प चयन कर ही आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे) ।	11-09-2021	14-09-2021	04	07-09-2021	11-09-2021	05
	(द) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना ।	28-08-2021	14-09-2021	18	22-08-2021	11-09-2021	21

सी.एल.सी. चरण							
5.	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार रिक्त सीटों की जानकारी (सभी सीटें अनारक्षित से होंगी)	16-09-2021	—	02	14-09-2021	—	03
	(ब) अप्रैप्रीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन तथा पूर्व से पंजीकृत एवं प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदकों द्वारा महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना ।	17-09-2021	22-09-2021	06	15-09-2021	20-09-2021	06
	(स) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	18-09-2021	23-09-2021	06	16-09-2021	21-09-2021	06
	(द) सी.एल.सी. चरण की मेरिट सूची जारी करना ।	25-09-2021	—	03	25-09-2021	—	04
	(य) 1. महाविद्यालय द्वारा, उपलब्ध मेरिट सूची में से पाठ्यक्रमवार रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिदिन मध्याह्न 12.00 बजे आवेदकों की मेरिट सूची जारी/एक्टिव करना । 2. आवेदक ई-प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन से विकल्प के महाविद्यालयों द्वारा एक्टिव किये गये पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन कर दूसरे दिवस मध्याह्न 11.00 बजे तक ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे । मध्याह्न 12.00 बजे तक प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने की दशा में आवेदक का नाम मेरिट सूची से विलोपित होगा । 3. महाविद्यालय प्रतिदिन मध्याह्न 12.00 बजे मेरिट सूची को अद्यतन करेंगे एवं जिन आवेदकों ने निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनके स्थान पर मेरिट क्रम में नवीन आवेदकों को एक्टिव कर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे ।	26-09-2021	30-09-2021	05	25-09-2021	30-09-2021	06
	(र) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना ।	17-09-2021	30-09-2021	14	15-09-2021	30-09-2021	16

नोट :-

- ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन पंजीकृत विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए । महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए । स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 01.10.2021 से 10.10.2021 तक यह प्रक्रिया संचालित की जायेगी ।
- विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में विषय/संकाय परिवर्तन संबंधी कार्यवाही पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए । स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 11.10.2021 से 20.10.2021 तक यह प्रक्रिया संचालित की जायेगी ।
- उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया — कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/अशासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थिति होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा ।

उपरोक्त समय-सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, (प्राथमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षा केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत पंजीयन तथा सत्यापन करवा कर विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे ।



सी.ए.टी. कैम्प एन.सी.सी. 2020-21



राष्ट्रीय सेवा योजना का कोविड वैक्सीन जागरूकता अभियान



महाविद्यालय का हस्त परिसर



राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में सहभागी विद्यार्थी



राष्ट्रीय सेवा योजना का योगा कार्यक्रम



भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह



राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर



वृक्षारोपण अभियान

महाविद्यालय के विभाग एवं शैक्षणिक स्टाफ सत्र 2020-21

प्राचार्य :

आचार्य, डॉ. शिवराज सिंह तोमर

भूगोल विभाग :

डॉ. दिनेश रावत, एम.ए.,पी-एच.डी.

डॉ. राजकुमार सिंह तोमर, एम.ए.,पी.जी.डी.सी.ए.,पी-एच.डी.

डॉ. राजाराम सिलधिया, एम.ए.,पी.जी.डी.सी.ए.,पी-एच.डी.

अर्थशास्त्र विभाग :

डॉ. कमल भारद्वाज, एम.ए.,एम-फिल, पी-एच.डी.

डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एम.ए.,पी-एच.डी.

कु. अलका शर्मा, एम.ए.

कु. उमा बघेल, एम.ए.

हिन्दी विभाग :

डॉ. शशिवल्लभ शर्मा, एम.ए.,पी-एच.डी.

डॉ. (श्रीमती) सिमलेश जैन, एम.ए.,पी-एच.डी.

डॉ. (श्रीमती) पूर्णिमा अग्रवाल, एम.ए.,एम.एड.,पी-एच.डी.

रसायन विभाग :

डॉ. व्ही.के. जैन, एम.एस-सी.,पी-एच.डी.

श्री मुकेश श्रीवास, एम.एस-सी.

डॉ. रमाकान्त शर्मा, एम.एस-सी.,पी-एच.डी.

कु. नेहा श्रीवास्त, एम.एस-सी.

रेखा करोरिया, एम.एस-सी.

जन्तु विज्ञान विभाग :

डॉ. आनन्द देशपाण्डे, एम.एस-सी.,पी-एच.डी.

श्री दिनेश कुमार शर्मा, एम.एस-सी., बी.एड.

श्री जितेन्द्र सिंह किरार, एम.एस-सी.

श्री सतेन्द्र सिंह तोमर, एम.एस-सी.

वनस्पति विज्ञान विभाग :

डॉ. आर.ए.एस. चौहान, एम.एस-सी.,पी-एच.डी.

कु. नेहा तोमर, एम.एस-सी.

गणित विभाग :

श्री विश्वास मेढेकर, एम.एस-सी.,एम.फिल.

श्री राजवीर शर्मा, एम.एस-सी.

श्री ब्रजेश राठौर, एम.एस-सी.

श्री शैलेन्द्र तोमर, एम.एस-सी.

भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग :

डॉ. दिवाकर श्रोत्रिया, एम.एस-सी.,एम.फिल, पी-एच.डी.

श्री बृजबिहारी शर्मा, एम.एस-सी.

कम्प्यूटर विभाग :

श्री दिवाकर शर्मा, एम.एस-सी.,एम.सी.ए., सी-डेक

श्री शमीम अहमद गौरी, एम.एस-सी.

अंग्रेजी विभाग :

श्री सुशील कुमार शर्मा, एम.ए.

श्री कल्याण सिंह, एम.ए.

इतिहास विभाग :

डॉ. कौशलेन्द्र उपाध्याय, एम.ए., पी-एच.डी.

राजनीति शास्त्र विभाग :

डॉ. श्रीमती मंजू तोमर, एम.ए.,पी-एच.डी.

समाजशास्त्र विभाग :

डॉ. रक्षा कम्थान, एम.ए.,पी-एच.डी.

संस्कृत विभाग :

डॉ. आर.ए.एस. चौहान

वाणिज्य विभाग :

डॉ. बी.एम. बंसल, एम.कॉम.,पी-एच.डी.

श्री राधामोहन गुप्ता, एम.कॉम.

श्री पंकज सिंह मदीरिया, एम.कॉम.

माइक्रोबायोलॉजी विभाग :

श्रीमती लक्ष्मी सैनी, एम.एस-सी.

पुस्तकालय :

श्री अशोक सिंह तोमर, एम.लिब., प्रभारी

श्री मनोज कुमार शर्मा

क्रीडा व खेलकूद विभाग :

श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर, एम.पी.एड., क्रीडा अधिकारी

तकनीकी स्टाफ :

श्री विजय कुमार उपाध्याय

श्री उमेश राठौर

श्री अरुण सिंह तोमर

कार्यालय स्टाफ :

श्री रामवरन राठौर, एच.सी

श्री रामनरेश शर्मा

श्री याकूब खाँ

श्री रामकुमार मिश्रा

श्री रामवीर सिंह गुर्जर

श्री उमाकान्त शर्मा

डाटा ऑपरेटर

श्री अजीत जैन

श्री अमित शर्मा

कु. ऋचा गुप्ता

कु. सोनम जैन

गार्ड :

श्री रामप्रकाश पचौरी

श्री रामाधार शर्मा

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

श्री रामवीर कुशवाह

श्री नौशेर खाँ

श्री ओमप्रकाश

श्री जवाहर सिंह

श्री कालीचरण सिंह

चतुर्थ श्रेणी (मानदेयी)

श्री उत्तम ओझा

श्री बृजकिशोर कुशवाह

श्री इरफान खाँ

श्री रंजीत सिंह

श्री रिहान खाँ

श्री हरेन्द्र सखवार

श्री झण्डू सिंह

श्री बन्टी

श्रीमती यशोदा

माता का पूरा नाम एवं व्यवसाय नाम श्रीमती व्यवसाय

स्थायी पूर्ण पता:

स्थानीय पूर्ण पता:

यदि माता-पिता अम्बाह शहर में नहीं रहते हैं तो स्थानीय अभिभावक का नाम व्यवसाय एवं पूर्ण पता मोबाइल नं.

निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम (रेलवे कंसेशन की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्थायी पता का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।)

राष्ट्रीयता:

1. जन्म का स्थान : तहसील जिला राज्य

2. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है (हाँ/नहीं) : तहसील जिला राज्य
(मूल निवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

3. अंतिम संस्था जहाँ अध्ययन किया:

4. क्या अध्ययन में अंतराल रहा : अंतराल का वर्ष और कारण
(शपथ-पत्र संलग्न करें)

5. विगत उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण : (सम्पूर्ण जानकारी करें)

उत्तीर्ण कक्षा	अनुक्रमांक	नामांकन	वर्ष	श्रेणी / ग्रेड	प्राप्तांक / पूर्णांक	नियमित स्वाध्यायी	विषय	शिक्षण संस्था का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम
(अ) हाई स्कूल									
(ब) ज.मा. परीक्षा 10+2									
(स) स्नातक / स्नातकोत्तर									
वर्ष / सेम.									
वर्ष / सेम.									
वर्ष / सेम.									

6. (अ) आवेदक के विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता / दुराचार / रेगिंग / नकल प्रकरण / अपराधिक कृत्य के विरुद्ध की गई न्यायलयीन महाविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण

(ब) यदि किसी न्यायालय पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज है तो उसका विवरण दें ।

7. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि हाँ तो - नियोक्ता का नाम

कार्यालय/संस्था का नाम

(नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

आवेदक की घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि :

मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में उल्लेखित समस्त नियमों/निर्देशों/सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्ण अध्ययन कर लिया है । शासन/महाविद्यालय के नियम/अनुशासन व व्यवस्था के प्रति बचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी । अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखे हुए प्रत्येक प्रकरण में प्राचार्य के निर्णय का पालन करूँगा/करूँगी ।
ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उद्देश्यों का अहित हो । मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही कोई असत्य/भ्रामक जानकारी दी है । कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मुझे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता न होगी ।
उपर्युक्त घोषणा का उल्लंघन करने की स्थिति में, प्राचार्य को महाविद्यालय से मेरा प्रवेश निरस्त करने का तथा वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।
मैं किसी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी ।
मैं महाविद्यालय की किसी भी नीति की सर्वजनिक आलोचना नहीं करूँगा/करूँगी, अपितु किसी समस्या की स्थिति में महाविद्यालय/विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उसे दूर करूँगा/करूँगी ।

संकेत :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर तथा

पूरा नाम

माता/पिता या वैध अभिभावक की घोषणा

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है । महाविद्यालय की विवरणिका में उल्लेखित समस्त नियमों/निर्देशों एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है । महाविद्यालय के अध्ययन काल में उसके आचरण, कार्य-अनुशासन, उपस्थिति, दैनिकी प्रगति और व्यवहार के संबंध में हम विशेष ध्यान देंगे तथा इसके लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय व विभाग के सहयोग देते रहेंगे । पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म भरे जाने के पूर्व अथवा सत्रांत तक वांछित उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसे सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित न किया जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । मेरा पाल्य किसी भी संक्रामक/गम्भीर रोग से ग्रसित नहीं है (ग्रसित होने की दशा में अनिवार्य रूप से प्रथम लिखित सूचना चीफ प्रॉक्टर को दें)

संकेत :

आवेदक के माता/पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर तथा

पूरा नाम

अनलिखित अंकसूची तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करें :

विगत अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि ।

जन्मतिथि के लिये हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि (प्रथम बार प्रवेश के समय)

आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण-पत्र जैसे :

स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र/स्थायी जाति प्रमाण-पत्र/आय प्रमाण-पत्र/प्रवर्जन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र/मूल निवास

प्रमाण-पत्र/पात्रता प्रमाण-पत्र/निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र/एन.सी.सी./एन.एस.एस./क्रीड़ा संबंधी

प्रमाण-पत्र/अंतराल का शपथ पत्र/पालक के स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति ।

टिप्पणी :-

यदि अंकसूची में नाम आने पर, प्रवेश के समय समस्त मूल प्रमाण-पत्रों/अंकसूचितयों सहित सत्यापन हेतु समिति के समक्ष उपस्थिति होना अनिवार्य है ।

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

स्थायी पता

वर्तमान पता

भाष क्रमांक मोबाइल नंबर ने कक्षा सेम./वर्ष में प्रवेश किया है।

आवेदन पत्र दिया है। मैं मूल रूप से का निवासी हूँ। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पूर्व में कभी पंजीबद्ध नहीं हुआ है न ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण किसी थाने में पंजीबद्ध है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है। प्रवेश के पश्चात् कोई आपराधिक तथ्य/महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज नहीं हुआ है।

अगर होते हैं तो मेरे विरुद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

थाना :

दिनांक : हस्ताक्षर

प्रवेश-समिति की अनुशंसा

आवेदक को कक्षा सेम./वर्ष में निम्नलिखित विषयों के साथ अस्थायी प्रवेश दिया जाता है।

(1) (2)

(3) (4)

आवेदन अस्वीकृति किया जाता है, कारण

निम्न कमियों की पूर्ति उपरांत प्रवेश की अनुशंसा की जाती है

प्रवेश समिति के संयोजक/सदस्य के हस्ताक्षर

नाम

प्राचार्य दिनांक

कार्यालयीन उपयोग हेतु

श रसीद क्रमांक राशि

दिनांक प्राप्त हुए।

BAH POST GRADUATE AUTONOMOUS COLLEGE, AMBAH (MOREN

(Affiliated to Jiwaji University, Gwalior & NAAC Accredited College)

IDENTITY CARD Session 2021-22

ER'S NAME

SS

Date of Birth

NO



AMBAH POST GRADUATE COLLEGE, AMBAH (MORENA) M.P.

TIME TABLE 2021-22

Class/Times	10:00 - 10:40	10:40 - 11:20	11:20 - 12:00	12:00 - 12:40	12:40 - 01:20	01:20 - 02:00	02:00 - 02:40	02:40 - 03:20
B.A. 1st YEAR	Hindi (R-18) English (R - U 1) Sanskrit (R - U 2)	F.C. (R - 18) M.T. (E.D) W/ Th - English F.S. - Hindi	Pol. Science (R - U1) Economics (R - 17)	Geog. (R- 104) History (R - U1)	Geog. - Prac. (R - 104)	Sociology (R - 18)		
B.A. IInd YEAR	Geog. (R - 104)	Geog. Prac. (R - 104) History (R - U1)	F.C. (R - Chemistry Hall) M.T. Environment W/ Th - Hindi F.S. - English	Sociology (R - 18)	Hindi (R - U 1) English (R - U 2) Sanskrit (Dept.)	Pol. Science (R - U 1) Economics (R - 17)		
B.A. IInd YEAR		Pol. Science - (R - U 2) Economics - (R - 17)	Sociology (R - 18)	F.C. - (R - Chemistry Hall) M.T. - English W/ Th - Comp. F.S. - Hindi	Geog. (R - 104) History (R - 17)	Geog. - Prac.	Hindi - (R - U 1) English (R - U 2) Sanskrit (Dept.)	
B.COM. 1st YEAR	Account (R - 22)	F.C. (R - 18) M.T. (E.D.) W/ Th - English F.S. - Hindi	Management (R - 22)	Economics (R - 22)				
B.COM. IInd YEAR		Account (R - 22)	F.C. - (R - Chemistry Hall) M.T. Environment W/ Th - Hindi F.S. - English	Management (R - 23)	Economics (R - 23)			
B.COM. IInd YEAR			Management (R - 23)	F.C. - (R - Chemistry Hall) M.T. - English W/ Th - Computer F.S. - Hindi	Account (R - 22)	Economics (R - 22)		
B.SC. 1st YEAR	F.C. A - M Group (R - L.T.) M & T - Eng. W/ & Th - Hindi F & S - E.D.	Chem. - (Math Group (R - L.T.) Chem. - (Bio.) (R - 20) Electronics - Dept. Computer Application (Dept.)	Maths (R - L.T.) Botany (R - 20)	Physics (R - L.T.) Zoology (R - 20)	Practical Micro Biology (Th.)	Practical	Practical	
B.SC. IInd YEAR	F.C. - B(Bio) (R - 20) M T - Hindi W/ & Th - E.D. F & S Eng.							
B.SC. IInd YEAR		Practical	Practical	Practical Micro Biology (Th.)	F.C. - (R - L.T.) M & T - Environment W & Th - English F & S - Hindi	Chemistry (R - L.T.) Electronics - Dept. Computer Application Dept.	Maths - (R - L.T.) Botany - (R. No. 20)	Physics - (R - L.T.) Zoology - (R No. 20)
B.SC. IInd YEAR		Practical Micro Biology (Th.)	Practical	Practical	Maths (R - 20) Botany (R - 18)	F.C. - (R - 20) M & T - Eng. W & Th - Hindi F & S - Computer	Physics - (R - 18) Zoology - (R - 17)	Chemistry (R - 18) Electronics (Dept.) Computer Application (Dept.)

1. This time table will come in force with effect from 1 Sept .2021
3. No. change will be made without the prior permission of the principal.

2. P.G., P.G.D.C.A., Microbiology Time - Table are available with the department concerned.
4. Rooms are indicated in the brackets.